न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री छोगाराम देवासी, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 03/2015 (प्रा.प. आवंटन निरस्त)
RCMS NO : 2015/00024

अनवान

1. श्रीमती हाकेर देवी बेवा श्री रूपाजी कलाल, निवासी छाणी, तहसील खेरवाड़ा।
2. श्री कालूलाल पिता श्री रूपाजी कलाल, निवासी छाणी, तहसील खेरवाड़ा।
3. श्री बाबूलाल पुत्र श्री रूपाजी कलाल, निवासी छाणी, तहसील खेरवाड़ा।

– प्रार्थीगण/अपीलान्ट

बनाम

1. श्री कोदरा पिता काला पटेल, निवासी छाणी, तहसील खेरवाड़ा।
2. श्री हुका पिता काला पटेल, निवासी छाणी, तहसील खेरवाड़ा।

– विपक्षीगण/रेस्पोडेन्ट

उपस्थित

1. श्री लोकेश मेनारिया, अधिवक्ता अपीलान्ट।
2. श्री गोपालसिंह चौहान, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट।

अपील प्रार्थनापत्र अंतर्गत नियम 14 (4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 बावत आवंटन निरस्त कराये जाने

* निर्णय *

दिनांक 23-01-2018

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 प्रस्तुत किया कि मौजा छाणी, तहसील खेरवाड़ा मे एक बिलानाम किस्म पहाड़ गैर काबिल काश्त भूमि स्थित है, जिसके आराजी संख्या 675 रकबा 2.16हे. हैं। उक्त आराजी मे से श्री पेमा पुत्र काला ड़ांगी, निवासी छाणी के आवेदन पर राजस्व केम्प मे रकबा 1.00हे. भूमि का आवंटन आदेश दिनांक 27.05.1989 द्वारा किया गया। इस आवंटित भाग का नया नम्बर 1614/675 पड़ा हैं। उक्त आराजी के शेष भाग मे से जरिये आदेश दिनांक 16.12.2001 द्वारा राजस्व अभियान के तहत केम्प छाणी मे प्रभारी अधिकारी द्वारा रकबा 0.70हे. भूमि को उस पर आबादी बसी होने से ग्राम पंचायत छाणी को आबादी विस्तार हेतु निःशुल्क आवंटित कर दी, शेष रकबा 0.46हे. आज भी कृषि भूमि के रूप मे बिलानाम सरकार मे दर्ज रेकर्ड हैं। इस प्रकार श्री पेमा व ग्राम पंचायत को आवंटन पश्चात् शेष कृषि भूमि के आराजी संख्या 675 रहे, ग्राम पंचायत को आवंटित रकबे के नम्बर 1614/675 रहे एवं श्री पेमा को आवंटित भाग के आराजी संख्या 1610/675/2 पड़े। श्री पेमा पुत्र काला ड़ांगी के लाऔलाद फोत हो जाने पर अन्य कोई उतराधिकारी न होने से पेमा के भाईयों विपक्षी संख्या 1 व 2 का नाम भूमि रेकर्ड मे दर्ज किया गया एवं वर्तमान मे वे खातेदार कृषक हैं। पेमा को किया गया आवंटन आंशिक रूप से अवैध, बिना भूमि की जांच किये, रिक्त भूमि उपलब्ध न होने के

बावजूद किया गया है, जबकि आवंटित भूमि के उत्तर पूर्वी भाग पर 167 X 165 X 30 फीट भाग पर कुल 15752.5 वर्गफीट भूमि पर प्रार्थीगण का 40वर्षो से भी अधिक समय से कब्जा है। इस भूमि के एक भाग पर उनका पुराना कच्चा केलुपोश मकान बना होकर चारो ओर थूअर की बाड़ लगा रखी हैं। उक्त भूमि पर कथित आवंटन के बाद भी प्रार्थीगण को 1992, 1994 व 1995 मे धारा 91, भू राजस्व अधिनियम के तहत नोटिस दिये गये, पैनाल्टी वसूल की गई। इस पर स्थित मकान पर गत 8 वर्षो से प्रार्थीगण ने बिजली का कनेक्शन भी ले रखा है। उक्त भूमि पर प्रार्थी संख्या 2 द्वारा वर्ष 1996–97 मे पंचायत के माध्यम से इन्दिरा आवास योजना के तहत अनुदान भी प्राप्त कर रखा है। उक्त समस्त तथ्यों को छुपाते हुए प्रार्थीगण के कब्जेशुदा भूमि का श्री पेमा को आवंटन कर दिया गया। आवंटी भूमिहीन नहीं था एवं आवंटन से पूर्व रिक्त भूमि की सूची नहीं बनायी गई, न ही उद्घोषणा जारी की गई। श्री पेमा व विपक्षीगण द्वारा आवंटित भूमि पर आवंटन शर्तो की कभी पालना नहीं की गई। इस कारण आवंटन दिनांक 27.05.1989 एवं उसके अनुसरण मे दिये गये खातेदारी अधिकार अवैध व शून्य हो अपास्त योग्य हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षीगण के पूर्वाधिकारी श्री पेमा को किया गया आवंटन दिनांक 27.05.1989 को निरस्त कर भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज कराया जावें।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये एवं अपना पक्ष एवं प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया। विपक्षी संख्या 1 व 2 की ओर श्री गोपालसिंह चौहान अधिवक्ता द्वारा वकालात पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण मे जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त वर्णित आराजीयात पर प्रार्थीगण का कभी कब्जा काश्त नही रहा हैं। यदि उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कभी कब्जा होता तो प्रार्थीगण इस बाबत् कोई आपत्ति दर्ज कराते परन्तु विपक्षीगण के पूर्वाधिकारी पेमा के नाम दिनांक 27.05.1989 को भूमि आवंटित किये जाने से लेकर इस प्रार्थना पत्र प्रस्तुती तक कोई आपत्ति नहीं की गई। राजस्थान भू राजस्व नियम 14(5) के अनुसार भी जिस व्यक्ति का कब्जा किसी भूमि पर 10 वर्षो से अधिक अवधि से चला आ रहा हो उसे ही उक्त कब्जेशुदा भूमि आवंटित की जाती हैं। इस कारण तत्कालीन उपखण्ड़ अधिकारी सलुम्बर द्वारा समस्त तथ्यों की जांच के उपरान्त ही उक्त भूमि श्री पेमा पिता काला ड़ांगी को आवंटित की हैं। प्रार्थीगण द्वारा उक्त आवंटन निरस्ती का प्रार्थना पत्र आवंटन के 26वर्षो के बाद प्रस्तुत किया हैं। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इसी स्टेज पर खारिज किया जाकर विपक्षीगण के पूर्वाधिकारी को किया गया आवंटन यथावत रखा जावे।

तहसीलदार खेरवाड़ा से विवादित आराजी संख्या पर वर्तमान मे किसका कब्जा है तथा कौन काश्त कर रहा है आदि की सूचना चाही गईं। तहसीलदार खेरवाड़ा द्वारा प्रकरण मे मौका रिपोर्ट दिनांक 03.01.2018 मे स्पष्ट किया है कि प्रकरण मे दर्ज आराजी संख्या 675 न होकर विवादित आराजी सख्या 675 का बट्टा नम्बर 1610/675 है। उक्त आराजी संख्या 1610/675 वर्तमान जमाबंदी संवत् 2071–74 मे विपक्षी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज रेकर्ड हैं। उक्त आराजी पर वादी पक्ष द्वारा एक केलुपोश मकान बनाया हुआ है, जो वर्तमान मे गिर चुका हैं एवं मौके पर केलु व ड़ंडें पड़े हुए है। उक्त आराजी मे 0.80हे. भूमि अविवादित एवं खातेदारों के कब्जे मे हैं

एवं 0.20हे. भूमि विवादित हो वादी पक्ष द्वारा अपना कब्जा बताया जा रहा हैं। तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर बहस हेतु तारीख नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को उभय पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित हुए। उभय पक्ष के अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब मे वर्णित तथ्यों को दोहराया।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली मे उपलब्ध प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, विपक्षी संख्या 1 के जवाब, आवंटन पत्रावली की प्रमाणित प्रति, मौका रिपोर्ट का गंभीरता से अवलोकन किया एवं उसमे वर्णित तथ्यों पर मनन किया। आवंटन पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विपक्षी संख्या 1 व 2 के पूर्वाधिकारी श्री पेमा पिता काला ड़ांगी को दिनांक 27.05.1989 को मौजा छाणी, तहसील खेरवाड़ा की आराजी संख्या 675 रकबा 1.00हे. भूमि का आवंटन उपखण्ड़ अधिकारी सलुम्बर द्वारा किया गया हैं। प्रकरण मे दर्ज आराजी संख्या 675 न होकर विवादित आराजी सख्या 675 का बट्टा नम्बर 1610/675 है। उक्त आराजी मे से विवाद सम्पूर्ण रकबे 1.00हे. पर न होकर विवाद मात्र 0.20हे. पर है। शेष भूमि 0.80हे. पर विपक्षी संख्या 1 व 2 का कब्जा है एवं इस पर कोई विवाद नहीं है। विवादित क्षेत्रफल के संबंध मे अपीलान्ट द्वारा धारा 91, भू राजस्व अधिनियम, 1956 के नोटिस वर्ष 1992, 1994, 1995 की प्रति प्रस्तुत की है, जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त आराजी संख्या 675 के 0.20हे. भाग पर अपीलान्ट का पुराना कब्जा रहा है। नक्शा ट्रेस मे भी उक्त आराजीयात पर वादी का टूटा हुआ मकान होना पाया गया है। इसके विपरित रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 एवं उनके अधिवक्ता धारा 91 के नोटिस आदि ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करने मे असफल रहे है, जिसमे आवंटन के पूर्व विवादित रकबा 0.20हे. पर रेस्पोडेन्ट के पूर्वाधिकारी का कब्जा होना पाया गया हो। ऐसी स्थिति मे विपक्षी संख्या 1 व 2 के पूर्वाधिकारी श्री पेमा पिता काला ड़ांगी को आवंटित आराजी संख्या 675 हाल आराजी संख्या 1610/675 रकबा 1.00हे. मे से 0.20हे. भूमि जिस पर वादी पक्ष का कब्जा है पर विपक्षी संख्या 1 व 2 के पूर्वाधिकारी पेमा पिता काला ड़ांगी को किया गया आवंटन खारिज किया जाना हम उचित समझते हैं।

अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या 1 व 2 के पूर्वाधिकारी श्री पेमा पिता काला ड़ांगी को दिनांक 27.05.1989 को आवंटित आराजी संख्या 675 हाल आराजी संख्या 1610/675 रकबा 1.00हे. मे से 0.20हे. भूमि, जिस पर वादी पक्ष का कब्जा है आवंटन खारिज किया जाता हैं एवं 0.20हे. भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है एवं शेष रकबा 0.80हे. पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पूर्वाधिकारी को किया गया आवंटन यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(छोगाराम देवासी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर